राजस्थान सरकार

न्यायालय नायब तहसीलदार रुपनगढ जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं. 08 / 2022

किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91
राज.भू राजस्व अधि. 1956

उनवान

सरकार जरिये प.ह.रघुनाथपुरा बनाम श्री बिरदाराम पुत्र श्री छोटूराम जाति गुर्जर नि. रामगढ

निर्णय

दिनांकः– 11.04.2022

पत्रावली पेश हुयी। अप्रार्थी बावजूद सूचना गैर हाजिर उसके विरुद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी जाती है।अतःमामला एक पक्षीय निर्णित किया जाता है।

प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम रामगढ के आराजी खसरा नंबर 120 किस्म गै.मु. स्कूल रकबा 0.0080 हैक्टेयर पर बाड़ लगाकर संवत 2078 मे कब्जा कर लिया। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से. प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत धारा 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया।

अप्रार्थी बावजूद सूचना गैर हाजिर रहे,नही उनकी ओर से कोई वकील या प्रतिनिधि उपस्थित हुए।सपष्ट है कि इस बारे मे कुछ नही कहना चाहते है।

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम रामगढ के आराजी खसरा नंबर 120 किस्म गै.मु. स्कूल रकबा 0.0080 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल किया जाता है तथा लगान 0.02 का 50 गुणा 01 रु. रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है।

पटवारी एवं टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली बाद पूर्ति संग्रह भण्डार हो।

(मुहर: नायब तहसीलदार रूपनगढ (अजमेर))

वर्ष 2022-23 रा.ले.सं.4 के पृष्ठ संख्या 21 पर सं. 1 की मांग कायमी की गई।
12/4/22
तहसील राजस्व लेखाकार

नायब तहसीलदार
तहसील रुपनगढ(अजमेर)

Scanned by CamScanner